शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 फरवरी 2014

बाल श्रमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन

डॉ.राघवेन्द्र हूरमाडे, व्याख्याता,
शिक्षा अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
डॉ. लक्ष्मण शिंदे उपाचार्य
शिक्षा अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध शीर्षक "बाल-श्रमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन" एक सर्वेक्षण प्रकार का शोध था, जिसमें इन्दौर शहर के बाल-श्रमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत शोध का अग्र उद्देश्य था- बाल श्रमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। प्रस्तुत शोध कार्य में इन्दौर शहर के भंवरकुआं एवं नवलखा क्षेत्र के 60 बाल श्रमिक विद्यार्थियों का 'स्नोबाल न्यादर्शन तकनीक' द्वारा न्यादर्श के रूप में चयन किया गया। प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन के लिए शोधकर्ताओं द्वारा विकसित मिश्रित प्रकार की प्रश्नावली का उपकरण के रूप में उपयोग किया गया। प्रस्तुत शोध के प्रदत्त विश्लेषण हेतु प्रतिशत मान सांख्यिकी का उपयोग किया गया। प्रस्तुत शोध में निष्कर्ष के रूप में बाल-श्रमिक विद्यार्थियों की अग्र प्रमुख शैक्षिक समस्याएँ पायी गयी- (1) आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन (पुस्तकें, वेश-भूषा इत्यादि) उपलब्ध न हो पाना, (2) मज़दूरी करने जाने के लिए विद्यालय में पूरे समय तक उपस्थित न रह पाना, (3) रात्रि को थक कर देर से घर आने के कारण अध्ययन न कर पाना, (4) अभिभावकों/पालकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव होना, एवं (5) पारिवारिक कार्यों के प्रति जिम्मेदारियाँ पूर्ण करने के कारण अध्ययन न कर पाना।

प्रस्तावना

शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। मानव के समग्र विकास एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की अहम् भूमिका होती है। शिक्षा व्यक्ति, समाज व अन्ततोगत्वा देश के विकास का मूल तत्व है। इसे ही दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय संविधान की मूल धारा 45 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी बच्चों को चौदह वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेंगे। सन् 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अध्याय 3 के नवीन अनुच्छेद 21-क में जोड़ा गया। अन्ततः शिक्षा के अधिकार को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 1 अप्रैल, 2010 से लागू कर दिया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बावज़ूद समाज के सभी वर्गों में आज भी शिक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जहाँ एक और महिला शिक्षा की स्थिति में आज हम वैश्विक परिदृश्य में पीछे हैं, वहीं समाज के पिछड़ों व वंचित वर्गों तक शिक्षा सहज सुलभ नहीं है। इन वर्गों में एक वर्ग बाल श्रमिकों

ISSN 2320 – 0871
17 फरवरी 2014

का भी हैं, जो अपनी लचर आर्थिक स्थिति के कारण भोजन व अन्य दैनिक बुनियादी सुविधाओं व अपने परिवार के कार्यों के संचालन के लिए पूरा दिन मज़दूरी करते रहते हैं। बाल श्रमिक संकल्पना में वह वर्ग सम्मिलित है, जिसमें 6-14 साल तक के बच्चे अपनी अशक्त आर्थिक स्थिति के कारण मज़बूरी में मज़दूरी करते हैं। दिन-रात मज़दूरी करने व बदहाल आर्थिक स्थिति के कारण वे चाह कर भी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। बाल श्रमिक केवल गांवों में ही नहीं शहरों में भी देखने को मिलते हैं। वे चाय की दुकानों व ढाबों आदि में चाय व खाना बनाते, ग्राहकों को चाय व खाना देते, टेबल साफ करते व बर्तन धोते हुए दिखाई देते हैं। वे फल व सब्जियाँ बेचते हुए भी नज़र आते हैं। कोयला खानों में भी 6-14 साल तक के बच्चे रस्सी खींचते, कोयला उठाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत से बाल मज़दूर कचरा, कूड़ा-कर्कट उठाते हुए नज़र आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बालक सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। पटाखों व रसायनों के कारखानों में भी कई बच्चें मज़दूरी करते हैं। बहुत से बच्चे ठेला चलाकर अपनी जीविका चलाते हैं और अपना पेट पालते हैं। 6-12 वर्ष की उम्र तक के कई बालक गैरेज में काम करते हुए, जूते पालिश करते हुए दिखाई देते हैं। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। उपलब्ध आकड़ों के अनुसार देश में लगभग दो करोड़ बाल श्रमिक है। 42 प्रतिशत बच्चे तो कृषि, कारोबार, बगीचा, प्लास्टिक उद्योग, घरेलू नौकरी के काम में तथा कारखानों, फेक्ट्रियों के काम में तथा अनैतिक प्रवृत्तियों में संलग्न हैं। भारत में कुल बाल श्रमिकों की संख्या का 20 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। देश में कुल श्रम शक्ति का 6 प्रतिशत बाल श्रम है। बाल श्रमिकों की समस्या भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के देशों में भी विद्यमान है। एशिया के कई देशों में जहाँ कुल श्रम शक्ति का 11 प्रतिशत तक बाल श्रम के अंतर्गत आता है। आज के बच्चे कल देश का भविष्य होंगे। बच्चों के व्यक्तित्व व ज्ञान के विकास के लिए उन्हें शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि समाज व देश का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके। इस बात की आवश्यकता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। संबंधित साहित्य के समीक्षात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल श्रमिकों से संबंधित अल्प शोध कार्य हुए हैं। चौधरी (1963) ने बाल श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन किया। क्षीरसागर (1987) ने कामकाजी बच्चों की समस्या और शिक्षा पर शोध कार्य किया। भाले (1990) ने विद्यार्थी बाल मजदूरों की समस्याओं पर शोध कार्य किया। गुर्जर (1995) ने बाल मज़दूरों की पारिवारिक संरचना एवं समस्याओं का अध्ययन किया। बानो (98) ने मज़दूर बच्चों की समस्याओं का अध्ययन किया। अंसारी (2009) ने कबाड़ी बटोरने वाले बच्चों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन पर शोध किया। राजकुमार (2011) ने बाल श्रमिक समस्या के संबंध में प्राथमिक समस्याओं का अध्ययन शोध कार्य किया। पूर्व शोधों के अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल श्रमिकों से संबंधित अल्प शोध कार्य ही हुए हैं। बाल मज़दूरी की समस्या देश की शिक्षा व अन्ततः विकास स्तर को धीरे-धीरे दीमक की तरह खा रही है। अतः इस दिशा में और शोध कार्यों की आवश्यकता है, ताकि बाल श्रमिकों की

शैक्षिक समस्याओं के समस्त कारणों का विस्तृत अध्ययन हो सके और उनके आधार पर उपचारात्मक प्रयास किए जा सकें। इससे प्रस्तुत शोध कार्य की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का अग्र उद्देश्य था- बाल श्रमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य की समष्टि इन्दौर शहर के बाल श्रमिक विद्यार्थी थे। इस समष्टि में से इन्दौर शहर के भंवरकुआं एवं नवलखा क्षेत्र के 60 बाल श्रमिक विद्यार्थियों का 'स्नोबाल न्यादर्श तकनीक' द्वारा चयन किया गया। चयनित विद्यार्थियों में से 54 लड़के और 6 लड़कियाँ थीं। इन बाल-श्रमिक विद्यार्थियों की उम्र 6 से 18 वर्ष थी। ये बाल-श्रमिक विद्यार्थी भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्रों से सम्बन्धित थे, जिसमें चाय की दुकान पर काम करने वाले, दूसरों के घर में बर्तन धोने वाले, पटाखों के कारखानों में काम करने वाले और फल व सब्जियाँ बेचने वाले बच्चे सम्मिलित थे। ये बाल-श्रमिक विद्यार्थी भिन्न-भिन्न जाति, वर्ग व समुदाय से सम्बन्धित थे। इन सभी विद्यार्थियों सामाजिक-आर्थिक स्थिति अति निम्न थी। विभिन्न कार्य क्षेत्र व लिंग के अनुसार न्यादर्श की संख्या को नीचे तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका 1 विभिन्न कार्य क्षेत्र व लिंग के अनुसार न्यादर्श की संख्या को प्रदर्शित करती तालिका

कार्य क्षेत्र	भंवरकुआ क्षेत्र		नवलखा क्षेत्र	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
चाय की दूकानों पर	16		9	
फल व सब्जियां बेचते हुए	18	1		
दूसरों के घर में बर्तन साफ़ करते हुए		3		2
पटाखे व रसायन के कारखानों में काम करते हुए	3			
कुल = 60				

शोध का प्रकार

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण प्रकार का था, जिसमें इन्दौर शहर के कुल 60 बाल-श्रमिकों विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया गया।

शोध प्रविधि

सर्वप्रथम शोधार्थियों के द्वारा बाल श्रमिक विद्यार्थियों की विशेषताओं का मानक स्रोतों व साहित्य से अध्ययन किया गया। तत्पश्चात इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर, शोधकर्ताओं द्वारा 'स्नोबाल न्यादर्श तकनीक' से ऐसे बाल श्रमिकों की पहचान की गयी, जिन्होंने अभी विद्यालय जाना बंद नहीं किया है। शोधार्थियों ने बाल-श्रमिक विद्यार्थियों की पहचान करना सुनिश्चित किया। स्नोबाल न्यादर्श तकनीक में प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया में समस्या से

संबंधित किसी एक व्यक्ति की पहचान की जाती है, ततपश्चात उस व्यक्ति की सहायता/पहचान से उसी श्रेणी के अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा जाता है। चयनित विद्यार्थियों को मौखिक रूप से दिशा-निर्देश देकर शोध कार्य का उद्देश्य स्पष्ट किया गया व उनके साथ तादात्म्य स्थापित किया गया। साथ ही शोधार्थियों द्वारा उपयुक्त वातावरण में अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदत्त संकलन किया गया, क्योंकि न्यादर्श अर्थात् बाल श्रमिक विशेष रूप से संवैधानिक चिह्नित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर समस्या से सम्बन्धित न्यादर्श से प्रदत्त एकत्र किए गए।

प्रदत्त संकलन की प्रक्रिया

प्रदत्तों के संकलन के लिए शोधार्थियों द्वारा विकसित मिश्रित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें बाल-श्रमिकों के आर्थिक व शैक्षिक क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रश्न निर्मित किए गए थे। प्रश्नावली में कुल 18 प्रश्न थे। इस प्रश्नावली में कुल 14 प्रश्नों के सम्मुख दो विकल्प 'हाँ' व 'नहीं' दिए गए थे और 4 प्रश्नों में उन्हें अपनी समस्या के कारण भी देने थे। अर्थात् कुल 14 प्रश्न बंद प्रकार व 4 प्रश्न मुक्त प्रकार के थे। बाल श्रमिक विद्यार्थियों से उक्त प्रश्नावली भरवायी गयी। विद्यार्थियों से प्रश्नावली को हल करवाने के बाद प्रश्नावलियों को एकत्र कर लिया गया। अंत में, बाल श्रमिक विद्यार्थियों के द्वारा दी गयी अनुक्रियाओं की विकल्प वार आवृत्तियों की गणना कर ली गयी और प्राप्त आवृत्तियों के आधार पर प्रतिशत मान ज्ञात कर सारणीकृत कर लिए गए।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत शोध के प्रदत्त विश्लेषण हेतु प्रतिशत मान सांख्यिकी का उपयोग किया गया।

परिणाम व विवेचना

प्रदत्त विश्लेषण से प्राप्त परिणाम तालिका 2 में दिए गए हैं-

तालिका 2 प्रश्नवार विभिन्न विकल्पों पर बाल-श्रमिक विद्यार्थियों के प्रतिशत मान को दर्शाती तालिका :

क्रमांक	प्रश्न	प्रतिशत
1	कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण आपको कौन-सी शैक्षिक सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी है ? (क) पुस्तकें (ख) वेशभूषा (ग) विद्यालय शुल्क (घ) तीनों	22 3 15 60
2	आपके साथ आपकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालय में कौन पक्षपात करता है ? (क) आपके शिक्षक (ख) आपके मित्र	20 32 48

	(ग) आपके शिक्षक व मित्र दोनों	
3	क्या आप कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण (क) शर्मिंदगी महसूस करते हैं ? (ख) शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं ?	87 13
4	क्या आप विद्यालय में केवल भोजनावकाश तक ही उपस्थित रहते हैं ?	100
5	क्या विद्यालय से भोजनावकाश के बाद आप, (क) मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं ? (ख) सोने या अन्य कार्यों के लिए जाते हैं?	93 7
6	क्या आप, (क) मज़दूरी करके शाम तक लौटते हैं ? (ख) मज़दूरी करके रात्रि तक लौटते हैं ? (ग) मज़दूरी करके सुबह तक लौटते हैं ?	22 67 12
7	क्या आप मज़दूरी करके वापस आने के बाद रात्रि के समय, (क) घर पर अध्ययन करते हैं ? (ख) घर पर अध्ययन नहीं करते हैं ?	22 78
8	क्या आपकी बस्तियों में, (क) शासन द्वारा बिजली की सुविधा उपलब्ध है ? (ख) बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है ?	25 75
9	आप किस कारण से घर पर अध्ययन नहीं कर पाते है ? (क) रात्रि के समय थकान के कारण (ख) घर में बिजली की सुविधा न होने के कारण (ग) रात में काम से घर न आने के कारण	22 70 8
10	क्या आपके अतिरिक्त घर में कोई और मज़दूरी करते हैं ? (क) माता-पिता (ख) भाई-बहन (ग) कोई नहीं	31 10 59

11	आपके परिवार में आय के अन्य साधन क्या है ? (क) माता-पिता की मज़दूरी (ख) भाई-बहन की मज़दूरी (ग) कुछ नहीं (घ) अन्य कोई	13 10 59 00
12	क्या आप अपने परिवार की आवश्यकताओं की, (क) पूर्ति कर पाते हैं ? (ख) पूर्ति नहीं कर पाते है ?	18 82
13	क्या आप परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, (क) जोखिम भरे काम करते हैं ? (ख) अधिक कार्य करते हैं ?	95 5
14	क्या आपका घर, (क) विद्यालय से दूर है ? (ख) विद्यालय के पास है ?	70 30
15	क्या आप, (क) विद्यालय पैदल जाते हैं ? (ख) विद्यालय साइकल से जाते हैं ?	78 22
16	क्या आप, (क) सप्ताह में तीन-चार दिन विद्यालय जाते हैं ? (ख) महीने में पाँच-छः दिन विद्यालय जाते हैं ? (ग) कभी-कभी सप्ताह में एक दिन भी विद्यालय नहीं जाते हैं ?	25 55 20
17	क्या आपका नियमित विद्यालय न जा पाने का कारण (क) अत्यधिक काम होना है ? (ख) पढ़ाई के लिए समय न निकाल पाना है ? (ग) विद्यालय में अरुचि का होना है ?	68 32
18	आपका पूर्ण रूप से शिक्षा पर ध्यान नहीं देने का कारण क्या है? (क) परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना (ख) ज्यादा काम की वजह से (ग) रूपयों की कमी के कारण	65 22 13

तालिका 2 से स्पष्ट है कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण 22 प्रतिशत बाल श्रमिक पुस्तकें, 3 प्रतिशत वेशभूषा, 15 प्रतिशत विद्यालय शुल्क व 60

प्रतिशत तीनों अर्थात् पुस्तकें, वेशभूषा व विद्यालय शुल्क की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं।

20 प्रतिशत बाल श्रमिकों के अनुसार उनके अध्यापक, 32 प्रतिशत के अनुसार उनके मित्र एवं 48 प्रतिशत के अनुसार उनके अध्यापक व मित्र दोनों कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनके साथ भेदभाव करते हैं। 87 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शर्मिंदगी महसूस करते हैं तथा 13 प्रतिशत विद्यार्थी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। शत प्रतिशत बाल-श्रमिक विद्यार्थी विद्यालय में केवल भोजनावकाश तक ही उपस्थित रहकर अध्ययन कर पाते हैं।

93 प्रतिशत बाल-श्रमिक विद्यार्थी विद्यालय से भोजनावकाश के बाद मज़दूरी करने के लिए और 07 प्रतिशत विद्यार्थी सोने व अन्य कार्यों के लिए घर चले जाते हैं क्योंकि वे रात में मजदूरी करते हैं।

22 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी मज़दूरी करके शाम तक, 67 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी रात्रि तक तथा 12 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी सुबह तक घर लौटते हैं।

22 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी मज़दूरी करके वापस आने के बाद रात्रि के समय घर पर अध्ययन करते हैं और 78 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर पाते हैं।

25 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थियों की बस्तियों में शासन द्वारा बिजली की सुविधा उपलब्ध है और 75 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थियों की बस्तियों में बिजली नहीं है।

22 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी थकान के कारण, 70 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी बिजली की सुविधा न होने के कारण व 8 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी रात्रि को काम से घर न आ पाने के कारण अध्ययन नहीं कर पाते।

31 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थियों के माता-पिता, 10 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थियों के भाई-बहन व 59 प्रतिशत बाल श्रमिकों के घर में उनके अलावा कोई और काम नहीं करता है।

31 प्रतिशत बाल श्रमिकों के अनुसार उनके परिवार में आय का साधन उनके माता-पिता की मज़दूरी, 10 प्रतिशत बाल श्रमिकों के यहाँ उनके भाई-बहनों की दूरी तथा 59 प्रतिशत बाल श्रमिकों के अनुसार उनकी स्वयं की मजदूरी है।

18 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं और 82 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी उनके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं।

95 प्रतिशत बालश्रमिक विद्यार्थी अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जोखिम भरे काम करते हैं और 5 प्रतिशत विद्यार्थी अधिक से अधिक मेहनत करते हैं।

70 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थियों का विद्यालय घर से दूर है तथा 30 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थियों का विद्यालय घर के पास है।

78 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी विद्यालय पैदल जाते हैं और 22 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी साईकिल से जाते हैं।

25 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी सप्ताह में 3-4 बार, 55 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी महीने में 5-6 बार तथा 20 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी सप्ताह में कभी-कभी एक दिन भी विद्यालय नहीं जा पाते हैं।

68 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थियों के अनुसार उनके नियमित विद्यालय न जा पाने का कारण अत्यधिक काम होना, 30 प्रतिशत बाल श्रमिक

विद्यार्थियों के अनुसार पढ़ाई के लिए समय न निकाल पाना व 02 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय में अरुचि होने के कारण वे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं।

65 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी परिवार की जिम्मेदारी पूरा करने की वजह से, 22 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी ज़्यादा काम की वजह से तथा 13 प्रतिशत बाल श्रमिक विद्यार्थी घर में पैसों की कमी के कारण शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में बाल-श्रमिक विद्यार्थियों की अग्र प्रमुख शैक्षिक समस्याएँ पायी गयी-

(1) आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन (पुस्तकें, वेश-भूषा इत्यादि) उपलब्ध न हो पाना।

(2) मज़दूरी करने जाने के लिए विद्यालय में पूरे समय तक उपस्थित न रह पाना।

(3) रात्रि को थक कर देर से घर आने के कारण अध्ययन न कर पाना।

(4) अभिभावकों/पालकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव होना।

(5) पारिवारिक कार्यों के प्रति जिम्मेदारियाँ पूर्ण करने के कारण अध्ययन न कर पाना।

सन्दर्भ

1 भटनागर, एस, आधुनिक शिक्षा एवं समस्याएँ, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, देहरादून, 1980.

2 जीत, वाय. बी, बाल मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1986.

3 जौहरी, बी.पी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1970.

4 रघुवंशी एस. एस, इन्दौर, शहर के बाल श्रमिकों की समस्याओं का सर्वेक्षण. अप्रकाशित एम. एड. लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 1996.

5 साहू, यू. सी , कृषक समाज में बाल श्रम.,रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1995.

6 श्रीनिवास और गंडोत्रा, बाल श्रम बहुआयामी समस्याएँ, अजन्ता पब्लिकेशन, दिल्ली, 1993.

7 वर्मा, एस, कामकाजी बच्चों की समस्याएँ एवं उनका शिक्षा पर प्रभाव. अप्रकाशित, एम. एड.लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 1993.

8. Buch M.B. (Ed.): First survey of Research in Education. Baroda: Centre of Advanced Study in Education, 1974

9 Buch M.B. (Ed.): Second Survey of Research in Education (1972-1979), Baroda: Society for Educational Research and Development, 1979

*10 **Buch, M. B. (Ed.):** Third Survey of Research in Education (1978-1983). New Delhi: NCERT, 1986.*

11 **Buch, M. B. (Ed.):** Forth Survey of Research in Education (1983-1988)- Vol I & II. New Delhi: NCERT, 1991.

12 ***NCERT:*** *Fifth Survey of Research in Education-Vol I & II (1988-1992). New Delhi: NCERT, 1997-2000.*

13 ***NCERT:*** *Sixth Survey of Research in Education-Vol I & II (1993-2000). New Delhi: NCERT, 2006-2007.*